राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 918वी बैठक दिनांक 06.12.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 918वी बैठक दिनांक 06.12.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9240/2022	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
2.	5239/2016	1(a)	कटनी	चूनापत्थर एवं डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
3.	P2/1621/2025	1(a)	टीकमगढ़	पायरोफाईलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	10667/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/903/2024	5(f)	झाबुआ	Syntheic Organic Chemicals Unit	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1311/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1593/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1594/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1329/2025	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1717/2025	8(a)	बैतूल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	P2/1526/2025	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/1920/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/1919/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1904/2025	1(a)	डिण्डोरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1592/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1720/2025	1(a)	दतिया	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
17.	P2/1584/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1638/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/1888/2025	1(a)	गुना	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/1885/2025	1(a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	P2/483/2024	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	1993/2014	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 918वी बैठक दिनांक 06.12.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/548455/2025, प्रकरण कमांक 9240/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री के. प्रभाकर राव, निवासी–बच्छरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57417 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 127, 128, 129, रकबा 5.50 हेक्टेयर, ग्राम जामुनिया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स एक्सीलेंट व्हाईट मिनरल्स प्रा.लि., एमआईजी–2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला कटनी (म.प्र.) के नाम किये जाने हेतु आवेदन।**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु फार्म–7 में ऑनलाईन आवेदन किया गया है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड किया गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री के. प्रभाकर राव, निवासी–बच्छरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के नाम डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57417 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10, 127, 128, 129, रकबा 5.50 हेक्टेयर, ग्राम जामुनिया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एक्सीलेंट व्हाईट मिनरल्स प्रा.लि., एमआईजी–2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला कटनी (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र Identification No. - EC23B001MP144237 दिनांक 19.06.2023 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 129/1857769/2024/12/1 दिनांक 08.01.2025 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 22.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/553217/2025, Case No. 5239/2016 Prior Environmental Clearance for Pondi Limestone & Dolomite Mine (Opencast Mechanized Method) in an area of 38.84 ha for production capacity of Limestone 111275 TPA & Dolomite 111530 TPA at Khasra No. 161/1, 161/2, 170, 174, 175/1, 175/2, 146, 147, 150, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 164, 168, 171, 181, 149, 167, 169, 180,172 at Village - Pondi, Tehsil - Dheemarkheda, District - Katni (MP) by Shri Shyam lal Kol R/o village- Kuthla , Post- Kuthla Tehsil- Murwara Dist. - Katni (M.P.) – 485771 Regarding transfer of EC in the name of M/s Vishwakarma Minerals Private Limited, W No. 4 Ram Manohar Lohiya ward, District Katni (MP).

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु फार्म–7 में ऑनलाईन आवेदन किया गया है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड किया गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Shyam Lal Kol R/o village- Kuthla , Post- Kuthla Tehsil- Murwara Dist. - Katni (M.P.) के नाम Pondi Limestone & Dolomite Mine (Opencast Mechanized Method) in an area of 38.84 ha for production capacity of Limestone 111275 TPA & Dolomite 111530 TPA at Khasra No. 161/1, 161/2, 170, 174, 175/1, 175/2, 146, 147, 150, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 164, 168, 171, 181, 149, 167, 169, 180,172 at Village - Pondi, Tehsil - Dheemarkheda, District – Katni (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Vishwakarma Minerals Private Limited, W No. 4 Ram Manohar Lohiya ward, District Katni (MP) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1818 दिनांक 10.12.2018 में निहित विशिष्ट एवं** साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता मूल पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 10.12.2018 से 30 वर्ष (दिनांक 09.12.2048) तक वैध मान्य रहेगी।

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक** द्वारा पर्यावरण स्वीकृति **में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन** सुनिश्चित किया जाये एवं **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14. 06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	सदस्य	**अध्यक्ष**

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/539297/2025, Case No. P2/1621/2025, Prior Environment Clearance for Pyrophyllite & Diaspore Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 5.00 ha. for Production Capacity of 18000 TPA. at Khasra No. Forest Compartment No. 48 Village- Kari Tehsil Tikamgarh District Tikamgarh (M.P.) by The MP State Mining Corporation, Shri Ashutosh Temle, General Manager, Block No.1(A), Second Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के आदेश कमांक 682 दिनांक 05.07.2016 के माध्यम से दिनांक 19.09.2049 तक पूरक अनुबंध निष्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.09.2049 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 48 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 918वी बैठक दिनांक 06.12.2025 का कार्यवाही विवरण

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/520022/2025, Case No 10667/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for Production Capacity of 39000 cum per year (Stone 19500 Cum/year & M.sand 19500 cum/year), at Khasra No. 355, Village Sindurkiya Tehsil Jaora, District Ratlam (MP) by Shri Mahendra Solanki S/o Manohar Singh Solanki, Owner, 28, Gram Bamankhed Tehsil Jaora, Post-Husen Tekri, District-Ratlam (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **829वी बैठक दिनांक 19.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 829वी बैठक दिनांक 19.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र कमांक 1141 दिनांक 12.06.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. **Proposal No. SIA/MP/IND3/541767/2025, Case No.: P2/903/2024 Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of existing synthetic organic chemicals unit, M/s Vini Industries at Plot No 125 AKVN Industrial Estate- Meghnagar, District - Jhabua (MP). Product & Capacity-28,400 TPA. Land Area- 0.4446 Ha., by Shri Alpeshbhai Patel M/s Vini Industries, Plot Number 125, AKVN Industrial Area, Meghnagar. Dist. Jhabua (M.P.) 457779. (EIA).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मेसर्स विनी इंडस्ट्रीज, श्री अल्पेशभाई पटेल द्वारा प्लॉट संख्या 125, AKVN औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला–झाबुआ (मध्य प्रदेश)–457779 में स्थित मौजूदा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल इकाई के प्रस्तावित विस्तार हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
2. यह परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, दिनांक 14 सितम्बर 2006 (एस.ओ. 1533 (ई)) तथा उसके संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत श्रेणी 5(F), श्रेणी–बी में सम्मिलित किया गया है।
3. SEAC की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 863–B बैठक दिनांक 10. 06.2024 में मान्य करते हुए पत्र क्र 1499 दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
4. SEAC की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 34 से 43 पर अंकित है।
5. परियोजना Expansion विवरण निम्नानुसार है :

S. No.	Name of Product	Existing Quantity (MT/ Year)	Proposed (MT/ Year)	Total After Expansion (MT/ Year)	End Use of Product
1	Vinyl sulphone	1200	6000	7200	Used as a raw material in the production of dyes and dye ntermediates
2	Acetanilide	600	8000	8600	

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3	2:3 Dichloro 1:4 Naphthoquinone	-	600	600	
4	2:6 Dichloro para nitroaniline	-	600	600	
5	Pera amino sulphalinamide	-	240	240	
6	Pentosha	-	1200	1200	
7	DNSDA	-	1800	1800	
8	MgSO4	-	7200	7200	
9	PTF Chloride	-	300	300	
10	OTF Chloride	-	300	300	
11	R-3-carbamoylmethyl-5-methyl hexanoic acid	-	180	180	
12	4-Sulfonamido Phenyl Hydrazine HCl (4-SPH)	-	180	180	
	Total	1800	26600	28400	
13	Emulsifier/surfactant	36000	-	36000	Used in Cosmetic Industry, Pharma, Textile Industry, Petrochemical Industry

By Product

S. No.	Name of by product	Existing Quantity (MT/ Year)	Proposed (MT/ Year)	Total After Expansion (MT/ Year)	End Use of Product
1	Acetic acid	265	1325	1590	Used in the manufacturing of paints.
2	Dilute sulphuric acid	4860	0	4860	Used for pH adjustment, synthesis of dyes, purification, and activation of intermediates.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3	HCl	360	1800	2160	Used in the production of azo dyes.
4	Glauber salt	960	0	960	Used in the dyeing process, especially for acid dyes and reactive dyes.
	Total	6265	3125	9390	-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से x विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **परियोजना के प्रस्तावित विस्तार (Expansion) से उत्पादन क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप जल आवश्यकता में वृद्धि होगी, अतः विस्तारित क्षमता अनुसार आवश्यक जल आपूर्ति हेतु Water NOC प्राप्त करें एवं की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

ii. प्रस्तावकर्ता द्वारा फायर एनओसी (Fire NOC) प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

iii. उपचारित जल का अधिकतम पुन: उपयोग (Reuse/Recycle) किया जाएगा एवं Zero Liquid Discharge (ZLD) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

iv. अनुपचारित अपशिष्ट जल का किसी भी प्राकृतिक स्रोत में निर्वहन नहीं किया जाए।

v. परियोजना क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार हरित पट्टी (Green Belt) का विकास किया जाए।

vi. विस्तार के पश्चात सभी चिमनियों (Stacks) की ऊँचाई एवं व्यास नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

vii. फ्युगिटिव एमिशन को नियंत्रित करने हेतु Enclosure System, Water Sprinkling एवं Dust Suppression Mechanism अनिवार्य रूप से अपनाया जाए।

viii. Ambient Air Quality Monitoring नियमित रूप से CPCB / MPPCB द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जाए।

ix. सभी प्रकार के Hazardous Waste का पृथक्करण (Segregation), संग्रहण एवं लेबलिंग Hazardous Waste Rules के अनुसार किया जाए।

x. Hazardous Waste के लिए यूनिट के अंदर Leak & proof, Covered & Paved Storage Area विकसित किया जाए।

xi. खतरनाक अपशिष्ट को केवल अधिकृत TSDF /Co & processing Facilities को ही भेजा जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/531756/2025, Case No.: P2/1311/2025, Prior Environment Clearance for Residential Project "Singapore Marina" at Khasra no. 160/4/10, at Village Pipliyakumar, Tehsil Juni Indore, District Indore, Madhya Pradesh Total Plot Area -9090sq.m, Net Plot Area-6387 sq.m, Built up Area – 38,393 sq mt., by Shri Radheshyam Gupta S/O Madanlal Gupta, E-47, Saket Nagar Indore (M.P.) 452018**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण High-Rise आवासीय परियोजना "Singapore Marina" खसरा संख्या 160/4/10, Pipliyakumar, Tehsil Juni Indore, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में विकसित किये जाने हेतु Shri Radheshyam Gupta S/O Madanlal Gupta, E-47, Saket Nagar Indore (M.P.) 452018 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 9090 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 38,393 वर्ग मीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 12 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project Proposal No.	**<u>SIA/MP/INFRA2/531756/2024.</u>**
2.	Project Name/Activity	**Shri Radheshyam Gupta S/O Madanlal Gupta, E-47, Saket Nagar Indore (M.P.)– 452018.** *Prior Environment Clearance for PROPOSED CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL PROJECT "Singapore Marina" Project at Khasra No. - KHASRA NO. 160/4/10, Village PIPLYA KUMAR, Tehsil - Juni Indore, Distt.- Indore (M.P.),* ***Total Plot Area -9090sq.m, Net Plot Area-6387 sq.m, Built up Area – 38,393 sq mt.,*** **Cat. - 8(a). Building and Construction projects.**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	6910 Lakhs.
5.	Description of Project	M/s Sarthak Vinayak Real Built, Indore is proposing a High-Rise Residential Project "Singapore Marina" at Khasra no. 160/4/10, at Village Pipliyakumar, Tehsil Juni Indore, District Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 38393 m^2.
6.	Lat./Log. Details.	22°45'45.48"N 75°54'35.25"E 22°45'45.52"N 75°54'39.96"E 22°45'44.37"N 75°54'40.01"E 22°45'44.05"N 75°54'35.31"E (As per Form -1).
7.	Building Height	45 Meter.
8.	Water NoC	NoC letter dated 04.07.25
9.	MSW NoC	NoC letter dated 25.03.25
10.	Extra Treated water NoC	NoC letter dated 31.07.25
11.	T&CP Permission letter	Letter No. INDLP08102456950 Indore dated 05/11/2024
12.	High-rise Permission	Letter No. 3879/High-rise/T&CP Indore dated 19/09/2024
13.	Total parking area	75 +162+ 76 = 314 ECS
14.	Number of vehicle to be parked	314 No.
15.	Water requirement details	• Total Water Requirement: 188.90 KLD. • Fresh Water Requirement: 102.10 KLD. • Treated/Recycled Water Requirement: 78.29 KLD. • Source of Fresh Water: Indore Municipal Corporation
16.	DG set capacity	02 no DG sets of 200 KVA each (2×200 KVA) (As per Conceptual Plan).
17.	RWH Pit details	03 Pit.
18.	Environmental Consultant Change	ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19/02/ 2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 918वी बैठक दिनांक 06.12.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से viii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **परियोजना स्थल में काफी मात्रा में वृक्ष स्थित है जिसके संरक्षण हेतु प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कितने वृक्षों को काटा जायेगा इसके संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व परियोजना स्थल में मौजूद वृक्षों के संरक्षण हेतु योजना एवं कितने वृक्षों को काटा जायेगा के संबंध में जानकारी पर्यावरण स्वीकृति (EC) जारी होने के 15 दिवस में प्राधिकरण में प्रस्तुत की जाये। इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा यदि उक्त योजना/जानकारी प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

ii. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल में मौजूद में से काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं इसके एवज में 10 गुना पौधों को रोपण किया जायेगा एवं उनके संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जायेंगे।**

iii. **भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।**

iv. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

v. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल के काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

ix. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

x. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/536988/2025, Case No.:P2/1593/2025, Prior Environment Clearance for M/s Proposed construction of commercial cum residential project "SAHIL COLUMBIA" by True Mart. at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra -142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2),62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.). Plot area-11360 sq.m, Net plot area-11205.70 sq.m and Built up area-35387.91 sq.m ,by Shri Vipin Kandhari, Partner 403-404, Block Infinite, Shivneri Sahil Empire, Bicholi Mardana, Indore, (M.P.)- 452016, (Query Reply B2)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

- उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण वाणिज्यिक सह आवासीय परियोजना "SAHIL COLUMBIA" by True Mart. खसरा संख्या 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (खसरा सं. 142/1/1 सहित), 58/2/2 (खसरा सं. 142/1/2 सहित), 62/2 एवं 62/3, ग्राम एवं तहसील बिचौली हप्सी, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) श्री विपिन कंधारी (पार्टनर) द्वारा विकसित किये जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 11360 वर्ग मीटर, प्लॉट क्षेत्रफल 11205.70 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 35387.91 वर्ग मीटर है जो 1,50,000-00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 17 से 27 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
19.	Project	SIA/MP/INFRA2/536988/2024.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20.	Project Name/Activity	**Shri Vipin Kandhari, Partner 403-404, Block Infinite, Shivneri Sahil Empire, Bicholi Mardana, Indore, (M.P.)-452016,** *Prior Environment Clearance for Proposed construction of commercial cum residential project " SAHIL COLUMBIA" by True Mart. at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra -142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.).* ***Built up area – 35,387.91 sq.m ,Plot area-11,360 sq.m, Net plot area-11,205.70 sq.m.*** **Cat. - 8(a).Building and Construction projects.**
21.	Project Cost.	6000 Lakhs.
22.	Partnership deed details	Date 28/09/2023.
23.	Description of Project	M/s True Mart is proposing to construct commercial cum residential project "Sahil Columbia" at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra -142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.).
24.	Declaration	PP Affidavit submit dated 25/05/2025 regarding No Construction start at project site Submitted (Uploaded on Parivesh Portal 2.0).
25.	Lat./Log.	22°43'5.35"N and 75°55'45.58"E.
26.	T&CP Permission details	T&CP letter no. INDLP18012541217 dated 19/03/2025.
27.	Proposed Parking details	Basement parking: 25 ECS Open parking: 7 ECS Podium parking: 400 ECS.
28.	Number of vehicle to be parked	273 ECS.
29.	Water requirement details	Total Water Requirement: 119.25 KLD Fresh Water Requirement: 73 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 46.25 KLD.
30.	DG set capacity	2 DG sets of total capacity 400 KVA (2×200 KVA).
31.	Environmental Consultant Change	M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से viii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **प्रस्तुत Water NOC अस्पष्ट होने के कारण, परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि वह नगर निगम से जल आपूर्ति हेतु स्पष्ट एवं वैध अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त करें एवं NOC की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

ii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

8. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/539600/2025, Case No.: P2/1594/202, Prior Environment Clearance for M/s Sneh Developers. Proposed Construction of "Cybercity By Micromitti " The proposed project site is located at Plot No. 05, Scheme No. - 166, Super Corridor, behind Infosys campus Indore (M.P.) Total Plot Area -9,301.71 m2, Net Plot Area -9,298.49 m2., Built-up area-45,474.57 m2, by Shri Pinkesh Ghatiya, Chief Finance Officer, address - F No. - 401, Block B, New Race Course, Mahalaxmi Nagar, Indore, (M.P.)- 452001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण मेसर्स स्नेह डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन निर्माण परियोजना **"Cybercity By Micromitti "** प्लॉट संख्या 05, स्कीम संख्या 166, सुपर कॉरिडोर, इंफोसिस परिसर के पीछे, इंदौर (म.प्र.) में विकसित किये जाने हेतु श्री पिंकेश घटिया, मुख्य वित्त अधिकारी, **F No. - 401**, ब्लॉक बी, न्यू रेसकोर्स, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, (म.प्र.)– 452001 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. कुल भूमि क्षेत्र 9,301.71 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्र 45,474.57 वर्गमीटर है, जो 1,50,000. 00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **830वी बैठक दिनांक 23.09.2025**को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. **29** से **41** तक अंकित है।
4. **परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–**

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/539600/2025.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	Project Name/Activity	**Shri Pinkesh Ghatiya, Chief Finance Officer, Address - F No. - 401,Block B, New Race Course, Mahalaxmi Nagar, Indore, (M.P.)- 452001.** *Prior Environment Clearance for* SNEH DEVELOPERS. The *PROPOSED CONSTRUCTION OF* ***M/s "CYBERCITY by MICROMITTI "*** site is located at Plot No. 05, Scheme No. - 166, Super Corridor, behind Infosys campus Indore *(M.P.).* Total Plot Area -9,301.71 m2, Net Plot Area -9,298.49 m^2., ***Built-up area*** – 45,474.57 ***m^2***, *Cat. - 8(a).Building and Construction projects.*
3.	Partnership deed details	Date 20//11/2024.
4.	Description of Project	The proposed project site is located at Plot No. 05, Scheme No. 166, Super Corridor, behind Infosys campus Indore(M.P.).
5.	High rise Permission details	T&CP letter no. 38 dated 03/01/2025.
6.	Building Hight	45 Meter.
7.	Water NoC	Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal).
8.	MSW NoC	Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal).
9.	Extra Treated water NoC	Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal).
10.	Total parking area	Basement I Parking: 171 ECS Basement II Parking: 171 ECS Basement III Parking: 171 ECS Total: 513 ECS
11.	Number of vehicle to be parked	513 No.
12.	Water requirement details	Total water requirement -120.61 KLD Fresh water supply – 59.95 KLD
13.	Hence No. of pits required	3 Pits.
14.	DG set capacity	2 DG sets of total capacity 3200 KVA (2×1600 KVA).
15.	CTE details	CTE No: 62378 dt. 19.6.2025
16.	Environmental Consultant Change	M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से viii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/520987/2025, Case No. P2/1329/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.62, for Production Capacity of 30000 cum per annum at Khasra No. 631, 632, 633, 634, 635, 636 & 125, Village Hughari Tehsil Ghughari District Mandla (M.P.) by Shri Ashish Kumar Agrawal, Owner, Village Ghughari Tehsil- Ghughari District- Mandla (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **828वी बैठक दिनांक 16.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला के आदेश कमांक 254 दिनांक 20.02.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/536338/2025,Case No. P2/1717/2025, Prior Environment Clearance for "M/s Emerald Heights and Residences" by SSN Annapurna Heights LLP, developed at Khasra No. 10/2, 13/2, 13/3, the Total Plot Area - 22,984.1 Sq.mt. (5.7 acre). Total Builtup Area - 58699.61 Sq.mt. Village Badnoor Dhana, Ward No.6, Kothi Bazar, Akashwani Road, District- Betul (M.P.) by Shri Neeraj Vijay, Director, M/s SSN Annapurna Heights LLP, House No.26, New Friends Society Walmi Road, Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म–1 में आवेदन नवीन प्रोजेक्ट के लिये किया गया है किन्तु CTE Expansion के लिये प्राप्त की हुई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म–1 (ii) के सरल कमांक 2 में पेड़ों की संख्या नहीं दी गई है किन्तु यह उल्लेख किया गया है कि पेडों को सुरक्षित रखा जावेगा। आवेदन के साथ संलग्न खसरा कमांक 10/2 एवं 13/2 में सागौन के 60, ईमली के 6, अशोक का 1, अमरूद के 5, शीशम का 1, आम के 6, पीपल का 1, बेर का 1, जामुन का 1, गुलमोहर का 1, कबीट का 1, करंजी के 4 इस प्रकार 88 पेड़ मौजूद है एवं खसरा कमांक 13/3 पर सागौन के 37, ईमली का 1, खजूर के 5, गुलमोहर के 3, शीशम के 3, नीम का 1, पलाश का 1 इस प्रकार कुल 51 पेड़ मौजूद है कुल मिलाकर खसरा/प्लाट नम्बर 10/2, 13/2 एवं 13/3 पर 131 पेड़ आवेदित परियोजना पर लगे हुए है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ों को सुरक्षित रखने की बात तो कही है लेकिन उनके द्वारा इन्हें सुरक्षित रखने का कोई प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्लान में इन पेड़ों की लोकेशन नहीं दर्शायी गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की लागत CAF में 90 करोड़, PPT में 143.10 करोड़ एवं CTE में 180 करोड़ दर्शायी गई है। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा असत्य भ्रामक एवं मनगढ़त जानकारी प्रस्तुत की है। भवन की हाईट 30.2 मीटर बताई गई है लेकिन हाईराईज परिमिशन अपलोड नहीं है। आवेदन पत्र के पार्ट–बी के सरल कमांक 8.1 में 299.37 KLD पानी की आवश्यकता बताई गई है जबकि CTE में 200 KLD है। फेश वाटर की आवश्यकता आवेदन पत्र, ईएमपी, पीपीटी एवं SEAC के मिनिट्स में भिन्न भिन्न है। वेस्ट वाटर जनरेशन पीपीटी में 110 KLD, CTE 150 KLD एवं फार्म–1ए में 299.37 KLD दर्शाया गया है। उक्त जानकारी भी विरोधाभाषी है।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

पार्ट–बी के सरल कमांक 13.1 में MSW जनरेशन 675 टीपीए, ईएमपी में 1548.51 KGD, पीपीटी में 1523.83 KGD एवं SEAC के मिनिट्स में 1560.153 KGD है उक्त जानकारी भी विरोधाभाषी है। पीपीटी में डीजी सेट की क्षमता 175 KVA एवं CTE में 1400 KVA दर्शायी गई है जो कि विरोधाभाषी है। यह भी नहीं बताया गया कि AQM सिस्टम की आवश्यकता क्यों नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पर्यावरण की संवेदनशीलता को गंभीरता से नहीं लिया गया यहां तक कि इनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत PPT भी MP-SEAC को संबोधित न होकर छत्तीसगढ़ SEAC को संबोधित है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण सलाहकार ने पर्यावरण अध्यन की जगह सिर्फ कॉपी पेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोनजा प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा जानबूझकर जानकारियां छुपाई गई एवं असत्य व भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है। भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवश्यक मापदण्ड भी पूर्ण नहीं किये गये है। अतः इस प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 8(ii) एवं 8(vi) आकर्षित होते हैं। अतः आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है तथा पर्यावरण सलाहकार जेनिथ इन्वायरमेन्ट कन्सलटेन्सी का Accretion भी निरस्त किये जाने योग्य है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के पूर्व, ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 8(ii) के परिप्रेक्ष्य में, SEIAA के डिस एग्रीमेन्ट के कारण एवं **Oveservation** से **SEAC** को अवगत कराया जावे तथा परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/520207/2025, Case No. P2/1526/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.660 ha, for production capacity of Stone 7820 cum/year and M.sand 7000 cum/year, at Khasra No. 547/1/1, 547/2, Village Palsud TehsilRajpur, District Barwani (M.P.) by Shri Mohan Chitawale S/o- Gendalal Chitawale R/o - Ward No.11, Bus stenkepiche, PO- Palsud, Rajpur, District-Barwani (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **828वी बैठक दिनांक 16.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी के आदेश कमांक 664 दिनांक 13.09.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज क्षेत्र में केशर एवं एम.सेण्ड प्लान्ट स्थापित नहीं किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/540479/2025, Case No P2/1920/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 hectare, for Production Capacity of 5,000 Cubic Meter Per year, at Khasra No. 82/2, Village Kalipith Tehsil Rajgarh District Rajgarh (M.P.) by Shri Bharat Singh Dangi, S/o Shivnarayan Dangi, R/o Kalipith, Rajgarh Distt. Rajgarh (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **830वी बैठक दिनांक 23.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के आदेश क्रमांक 100 दिनांक 31.01.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/547108/2025, Case No. P2/1919/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti) – 35,000 m3/year & M-sand 15,000 m³/year at Khasra No. 319/1/1/1(S), Village: - Jateri Tehsil Chachauda District Guna (M.P) by Shri Anirudh Meena S/o Shri Rameshwar Meena Residence Village Penchi Tehsil Chachauda District Guna, (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **828वी बैठक दिनांक 16.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के आदेश कमांक 697 दिनांक 08.07.2025 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 07 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/510190/2025, Case No. P2/1904/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.250 hectares, for Production Capacity of 4,000 cubic meters per year, at khasra No. 25 & 36/2, Village Bhainsalgan, Tehsil Dindori, District Dindori (M.P.) by M/s Maa Bhavani Stone Crusher, Propritor Shri Bharat Thakur, R/o No.- 74, Lukampur Tehsil- Dindori, District- Dindori, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **829वी बैठक दिनांक 23.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 829वी बैठक दिनांक 19.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 07.09.2016 के अनुसार दिनांक 06.09.2026 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.09.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं ब्रिज से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

15. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/539482/2025, Case No.: P2/1592/2025, Prior Environment Clearance for M/s Proposed Construction of "Commercial Cum Hotel" by Shashank Builder and Developers at Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.). Total Built-Up area-35,374 m2, Total Plot Area-10,560 M2, Net Plot Area -10,560 M2, 40 Shop, 106 Office , 134 Rooms & 2 Flats by Shri Shekhar Raghuvanshi, Partner, Shashank Builder And Developers, Ff 29-30, Shop No. 6, Shekhar Villa, Scheme No 54, Indore, 452001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण मेसर्स शशांक बिल्डर एंड डेवलपर्स द्वारा "Commercial Cum Hotel" खसरा संख्या 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2, ग्राम पिपलियाराव, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में विकसित किये जाने हेतु Shri Shekhar Raghuvanshi, Partner, Shashank Builder And Developers, Ff 29-30, Shop No. 6, Shekhar Villa, Scheme No 54, Indore द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 10,560 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 35,374 वर्ग मीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 18 से 28 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/539482/2024.
2.	Project Name/Activity	**Shri SHEKHAR RAGHUVANSHI, Partner,SHASHANK BUILDER AND DEVELOPERS, FF 29-30, SHOP NO. 6, SHEKHAR VILLA, SCHEME NO 54, INDORE, 452001.** *Prior Environment Clearance for PROPOSED CONSTRUCTION OF "COMMERCIAL CUM HOTEL" by Shashank Builder and Developersat Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.).* **Total Built-Up area – 35,374 m^2, Total Plot Area – 10,560 m^2, Net Plot Area – 10,560 m^2, 40 SHOP, 106 OFFICE , 134 ROOMS & 2 FLATS. Cat. - 8(a).Building and Construction projects.**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	Project Cost.	2916 Lakhs.
4.	Partnership deed details	Date 05/06/2024.
5.	Lat./Log.	22°41'6.13"N latitude and 75°51'29.97"E longitude.
6.	T&CP Permission details	T&CP letter no. INDLP070123051 dated 09/06/2023.
7.	Proposed Parking details	Basement 1,2 & 3: 276 ECS Open Parking: 195 ECS
8.	Number of vehicle to be parked	168 ECS
9.	Water NOC	IMC Letter issued vide letter no. 843 date 08/05/2025.
10.	MSW NOC	IMC Letter issued vide letter no. 680 date 01/05/2025.
11.	Extra treated water NOC	IMC Letter issued vide letter no. 3675 date 16/07/2025.
12.	Water requirement details	Total Water Requirement: 95.96 KLD Fresh Water Requirement: 48.35 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 47.61 KLD.
13.	Hence No. of pits required	2 Pits.
14.	DG set capacity	Block A-250 KVA Block B- 2x 400 KVA. Total capacity 1050 KVA
15.	CTE details	CTE: 62291 Date:02/06/2025.
16.	Environmental Consultant Change	M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 830वी बैठक दिनांक 23.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से ix विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. परियोजना स्थल में काफी मात्रा में वृक्ष स्थित है जिसके संरक्षण हेतु प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कितने वृक्षों को काटा जायेगा इसके संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व परियोजना स्थल में मौजूद वृक्षों के संरक्षण हेतु योजना एवं कितने वृक्षों को काटा जायेगा के संबंध में जानकारी पर्यावरण स्वीकृति (EC) जारी होने के 15 दिवस में प्राधिकरण में प्रस्तुत की जाये। इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा यदि उक्त योजना/जानकारी प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल में मौजूद में से काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं इसके एवज में 10 गुना पौधों को रोपण किया जायेगा एवं उनके संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जायेंगे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

iii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iv. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

v. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल के काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

ix. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

x. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. **Proposal No. SIA/MP/MIN/504167/2024, Case No. P2/1720/2025, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity 3,000 M3/year, at Khasra No. 1, Village Teekar Tehsil Indergarh District Datia (M.P) by Shri Akash Udainiya S/o Shri Suresh Kumar Ward No. 02, Tehsil Indergarh, District Datia (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रश्नाधीन खदान पहाड़ पर स्थित है एवं खदान के पास एक माताजी का मंदिर परिलक्षित है जिसमें खनन के दौरान क्षति होने की अशांका भी है तथा ईको सिस्टम प्रभावित होगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जिला दतिया से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत क्या प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/527211/2025, Case No P2/1584/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity Stone - 12825 cum per year & M-Sand - 12825 cum per year, at Khasra No. 582/1, VillageGogapur Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain (MP). By Shri Aman Deep Singh Gur, R/o- Main Road, mahidpur road, District Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 10.03.2017 के अनुसार दिनांक 09.03.2027 तक के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **खदान क्षेत्र के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक पोल से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/539990/2025, Case No P2/1638/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha. for Production Capacity of 14550 cum per annum at Khasra No. 162, Village Kalyansikhedi Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.). by Shri Farhan Ali, R/o Post Bhatkhedi Mhow Near Masjid Indore, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में Deemed ToR जारी हुआ है एवं SEAC द्वारा Deemed ToR के पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अन्य प्रकरणों में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है–

"The committee observed that in this case deemed TOR was issued. Since related case is pending before Hon' Supreme court of India, at sub- judicious stage, hence this case shall be considered on decision or any further guidance from M.P.SEIAA"

परंतु SEAC ने इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। SEAC कृपया बताये कि एक ही प्रकृति के प्रकरणों में भिन्न मत क्यों दिया गया है। यदि अन्य प्रकरणों में निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निराकरण करने की अनुशंसा की गई है तो इस प्रकरण में अभी क्यों अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/544390/2025, Case No. P2/1888/2025, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 Ha. for Production Capacity of 15,000 Cubic meter/year at Khasra No. - 263/1/3(S) (Govt. Land), Village- Mavan, Tehsil & Distt. Guna (M.P.) by Shri Dilmeet Singh Bal, Project Proponent, Ward No. 18, Khejra, Tahsil & District – Guna (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदन पत्र के पार्ट–ए के सरल कमांक 24 में पर्यावरण सलाहकार छव बताया गया है जबकि 24.1 में पर्यावरण सलाहकार we have hired उल्लेख है दोनो ही बिन्दुओं में विरोधाभाष है। पार्ट–बी के सरल कमांक 9.1.1 एवं 9.1.10 में भूमि का करंट स्टेटस नहीं बताया गया है। सरल कमांक 9.1.11 में प्लान्टेशन के लिये सिर्फ 0.42 हे. का उल्लेख किया गया है जिसमे 2000 पौधे लगाने की बात कही गई है, 0.42 हे. में 2000 पौधे लगाया जाना संभव नहीं है ग्रीनबेल्ट के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व SEAC का अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/472179/2025, Case No. P2/1885/2025, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area 1.0 ha. for production capacity of Gitti- 2,500 cum/year, Boulder - 2,500 cum/year & M-sand 2,500 cum/year, at Khasra No.- 3229(P), at Village - Iklaud Tehsil Vijaypur District Sheopur (M.P.) by Shri Umesh Bamrolya, R/o- Munshiyo ka Mohalla, Lakkadkhana, Grid, District- Gwalior(M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **831वी बैठक दिनांक 25.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC **की** 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 13482–87 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **स्टॉप डेम से न्यूनतम 200 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

21. Proposal No.: SIA/MP/MIN/452836/2023 Case No. P2/483/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha. for production capacity of 25,137 Cum/Year, at Khasra No. 1728/1, Village–Dhangawan, TehsilGohparu, DistrictShahdol (M.P.) by Shri Ashish Tiwari S/o Shri Balkrishan Tiwari, R/o NiwasiNavalpur, Tehsil Sohagpur, District Shahdol, (M.P.)-461771

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **818वी बैठक दिनांक 07.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 912वी बैठक दिनांक 14.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *Parivesh Portal पर प्रस्तुत CAF FORM के बिन्दु कमांक 5 पर लीज क्षेत्र के ग्राम एवं तहसील का नाम भिन्न अंकित है एवं खसरा नम्बर अंकित नहीं है तथा फार्म के Part-B के बिन्दु कमांक 5 में नदी का HFL 0 दिखाया गया है Actual HFL का Distance क्या है अंकित नहीं किया गया है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के संबंध में सही जानकारी एवं स्पष्टीकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए SEAC की 818वी बैठक दिनांक 07.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल के आदेश क्र. 1218 दिनांक 25.06.2019 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.06.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 09 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 70 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

22. Proposal No.: SIA/MP/MIN/547159/2025 Case No. 1993/2014 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of 58,200 cum/year at Khasra no. 34, Village - Benegaon, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (M.P) by Shri Kranti Singh Chouhan R/o Vilage Badgoan, Post Pala, Tehsil Kirnapur, DistrictBalaghat (M.P)-481115 Regarding transfer of EC in the name of Shri Rajeev Ranjan Tiwari R/o Gram Jgadishpur Moar, Post-Thana-Pirpainit, Bhagalpur, Bihar

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 912वी बैठक दिनांक 14.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों अनुसार गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेक, लीज एरिया में की गई फेसिंग, बैरियर जोन में किये गये वृक्षारोपण एवं CER के तहत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ एवं जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व ADS reply के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Kranti Singh Chouhan R/o Vilage Badgoan, Post Pala, Tehsil Kirnapur, DistrictBalaghat (M.P)** के नाम **Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of 58,200 cum/year at Khasra no. 34, Village - Benegaon, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat** (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajeev Ranjan Tiwari R/o Gram Jgadishpur Moar, Post-Thana-Pirpainit, Bhagalpur, Bihar** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 3384 दिनांक 26.03.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट का लीज हस्तांतरण आदेश क. 233 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 13.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016site as per NBC fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project
    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (5(f) श्रेणी हेतु)

परिशिष्ट–2

1. Water requirement shall be met through MPAKVN water supply only. Prior permission from concerned authority shall be obtained for withdrawal of water.
2. The Project Proponent shall make necessary arrangements for control of Air Pollution occurring due to the installation and operation of the Air Polluting machinery installed in the industrial premises.
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. The project proponent shall construct rain water tanks to store rain water runoff generated from the roof tops etc during monsoon season within its premises.
5. The project proponent shall minimize the water consumption in the industrial plant complex by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
7. PP should ensure to achieve minimum 95% solvent recovery. Close loop solvent recovery system with adequate condenser system shall be provided to recover solvent vapours in such a manner that recovery shall be maximum and recovered solvent shall be reused in the process within premises.
8. The project proponent shall undertake pre-monsoon and post monsoon monitoring of the Ground water for heavy metals in addition to routine parameters. At least 3 samples i.e. one from within the premises and two from outside the premises of the industry shall be taken.
9. All the vehicle movement areas as well as approach road to the gate /weighing bridge shall be paved with pucca/metalled / cement concrete to control the dust emissions expected from vehicle movements.
10. The vehicles to be used for loading/unloading purposes shall not be parked along the roadside to avoid traffic congestion and a dedicated parking place to be provided for the same within the Project premises.
11. The project proponent shall adopt green technologies to conserve water and energy. Also, provide abrasive resistant fire bricks in the crucibles to reduce the periodic maintenance and disposal of discarded fire bricks if applicable.
12. The project proponent shall use natural gas as substitute fuel wherever possible in the existing industry/ for the expansion project as soon as this becomes commercially available. PP should ensure to implement non conventional energy source wherever is possible.
13. Odour Management:

(a) Nozzles, sprayers and atomizers that spray ultra-fine particles of water or chemicals should be used along the boundary lines of area sources to suppress odours

(b) Odorous air streams frequently contain high concentration of moisture. PP should ensure to use Mist filters for this purpose so that mist filter can remove solids and liquids from gas stream.

(c) Regular transportation of Sludge and other odor producing material to CHWTSDF

(d) Proper storage of chemical, solvent to avoid direct contact of sunlight

(e) Personal Protective Equipment should be provided to the workers while handling of chemical and raw material

14. PP should ensure to make arrangement for disaster management.
15. No construction and expansion activities will be allowed in MOS area.
16. Leak Detection and Repair (LDAR) program shall be prepared and implemented as per the CPCB guidelines. LDAR Logbooks shall be maintained.
17. The specific need base activities to be undertaken under CER to be carried out in consultation with District collector.